



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

File No NCST/DEV-2954/DL/2/2024-ESDW

Dated:- 05.09.2024

सेवा में,

श्री संजय अरोड़ा

आयुक्त,

दिल्ली पुलिस, पुलिस मुख्यालय,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001

Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in, Phone- 011-23954601

विषय:- अनुसूचित जनजाति की महिला को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Ground) के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा नौकरी ना देने के संबंध में - श्रीमती मीरा बाई मीना (पत्नी स्व. श्री नवीन मीना, उप निरीक्षक, बेल्ट न - डी/3921, PIS 16100190) निवासी-क्वार्टर नंबर-22, टाइप-III, द्वारका सेक्टर-17C, द्वारका, नई दिल्ली का दिनांक 12.06.2024 का अभ्यावेदन।

संदर्भ:- NCST के समसंख्यक नोटिस दिनांक 19.06.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **12.09.2024 को 5:20 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)

अनुसंधान अधिकारी / Research Officer

Phone -24641640

Copy to :-

श्रीमती मीरा बाई मीना,

निवासी-क्वार्टर नंबर-22, टाइप-III,

सेक्टर-17C, द्वारका, नई दिल्ली

Mobile No:7217739884

(यह सूचित किया जाता है कि दिनांक **12.09.2024 को 5:20 बजे** आयोजित सिटिंग में, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 में उपस्थित हो।)